न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 42/2021 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस नम्बर—2021/104

उनवान

1. श्री शांतिलाल पुत्र पेमजी पटेल, उम्र बालिग,
2. श्रीमती चंदा बाई पत्नि धुलजी पटेल, उम्र बालिग,
3. श्री ललीत पुत्र धुलजी पटेल, उम्र बालिग,
4. श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व. हिरालाल पटेल
5. श्री प्रतीक पुत्र हिरालाल पटेल, उम्र बालिग,
6. श्री विनीत पुत्र हिरालाल पटेल, उम्र बालिग,
7. श्री वालजी पुत्र पेमजी पटेल, उम्र बालिग,

सभी जाति पटेल, सभी निवासीयान कलुथडा, पटवार हल्का देवगांव, हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

—— **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

1. श्रीमान् राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

—— **विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

सहायक कलेक्टर सलूम्बर

दिनांक : 03/06/2026

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता — प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा उपस्थिति।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौझा कलुथडा, पटवार मण्डल देवगांव, भू.अ.नि. झल्लारा तह. सलुम्बर में प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा कलुथडा में स्थित जिसके सेटलमेन्ट पूर्व संवत 2038 से 2041 की जमाबन्दी के खाता संख्या 66/65 में साबिक आराजी नं. 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 कुल किता 7 कुल रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि श्री पेमजी पिता गोवना जी डांगी के नाम से दर्ज थी जो कि उसके एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि थी। उक्त कृषि भूमि का विवरण इस प्रकार है। साबिक आराजी नं. 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 कुल किता 7 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल आराजी नं. 1325, 1326, 1327, 1328, 1383, 1384, 1888/1382, 1890/1385, 1269, 1322, 1887/1385, 1889/1268, 1892/1324, 1268, 12691, 1324, 1325/1, 1326/1, 1385, 1380, 1382, 1883/1328 कुल किता 21 कुल रकबा 5.06 हेक्टर भूमि है। उक्त वर्णित कृषि भूमि जो कि पूर्व में 25 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि संवत् 2038—2041 में श्री पेमजी पिता गोवना जी डांगी तहसील सराडा के नाम से दर्ज थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि भूमि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण जो कि वर्तमान में उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है, मौके

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उक्त 25 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि पर आज भी प्रार्थीगणों का स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। वर्तमान में समस्त प्रार्थीगणों का आपस में बंटवाडा होकर मौके पर कब्जे काश्त है व प्रार्थीगणों का विधिक बंटवाडे के अनुसार जब सभी खातेदार/प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड व नक्शे की प्रतिलिपि का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त कृषि भूमि जो कि पूर्व में 25 बीघा 17 बिस्वा थी, सेटलमेन्ट तथा राजस्व कर्मचारियों की क्षणिक त्रुटी के चलते वर्तमान में उक्त कृषि भूमि का रकबा कम होकर 5.06 हेक्टेर ही बचा जिसके अनुरूप वर्तमान में समस्त प्रार्थीगण खातेदारों की कृषि भूमि 25 बिघा 17 बिस्वा के बजाय 23 बीघा 9 बिस्वा ही मौके पर आज दिनांक स्थित है। अर्थात प्रार्थीगण की भूमि लगभग ढाई बीघा जमीन राजस्व रिकार्ड व नक्शे में सेटलमेन्ट की क्षणिक त्रुटी के चलते कम हो गई है। जबकि वास्तव में मौके पर प्रार्थीगण 25 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर ही काबिज होकर कब्जे काश्त है। केवल राजस्व नक्शे व रिकार्ड में कमी होने के चलते प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि को विक्रय, हस्तान्तरित करने में असक्षम हैं। उक्त प्रार्थनापत्र वाद पत्र से भिन्न होकर प्रार्थना पत्र की प्रकृति का होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 80 सी.पी.सी के तहत 2 माह पूर्व सूचनापत्र प्रेषित करना आवश्यक नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निम्न आशय का आदेश प्रदान फरमाकर राजस्व भू अभिलेख में प्रार्थीगण के खाते अमल दरामद के निम्न आदेश प्रदान फरमावे :– कि कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि जिसे इन्द्राज दुरस्ती कर पुनः जो प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि है जो कि पूर्व में 25 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि थी जो कि वर्तमान में रकबा कम होने से 5.06 हेक्टर भूमि (23 बीघा 9 बिस्वा भूमि) का इन्द्राज दुरूस्ती कर पुनः पूर्ववत जमाबन्दी के रकबे के अनुरूप राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अमल दरामद कराने का आदेश फरमावे ।

पत्रावली दर्ज रिजस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा हाजिर आये जिन्होने जवाब/रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि–

1. यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौझा कलुथडा पटवार मण्डल देवगांव भूअनि झल्लारा तह सलुम्बर में प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की कृर्षि भूमि मोझा कलुथडा में स्थित सेटलमेन्ट पूर्व संवत 2038–2041 की जमाबंदी के खाता संख्या 66/65 में साबिक आराजी न० 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 कुल किता 07 कुल रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा कृर्षि भूमि श्री पेमजी पिता गोवना जी डांगी के नाम दर्ज थी जो कि सेटलमेंट पूर्व नकल द्वारा सही है।
2. यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम कलुथडा तहसील सलूम्बर सेटलमेन्ट मिसल बन्दोबस्त संवत 2048 की खाता संख्या 21 में आराजी नम्बर 1268 रकबा 0.70 है0 1269 रकबा 0.52 है0 1322 रकबा 0.29 हे० 1323 रकचा 0.32 है0 1324 रकबा 0.12 है0 1325 रकबा 0.20 है0 1326 रकबा 0.20 है0 1327 रकबा 0.07 है0 1328 रकबा 0.38 है० 1380 रकबा 0.23 है0 1381 रकबा 0.01 है० 1382 रकबा 1.16 है0 1383 रकबा 0.13 हे0 1384 रकबा 0.08 है० 1385 रकबा 0.66 है० कुल किता 15 रकबा 5.07 है० पेमा पिता गोवना डांगी सराडा हाल सलूम्बर खातेदार दर्ज है जो कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार सेटलमेट पूर्व साबिक आराजी न० 463, 464, 465, 466 467 468 469 कुल किता 07 कुल रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल आराजी न० आरजी नम्बर 1268 रकबा 0.70 है0 1269 रकबा 0.52 है0 1322 रकबा 0.29 हे० 1323 रकबा 0.32 है0 1324

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

रकबा 0.12 है0 1325 रकबा 0.20 है० 1326 रकबा 0.20 है0 1327 रकबा 0.07 है0, 1328 रकबा 0.38 है0, 1380 रकबा 0.23 है0, 1381 रकबा 0.01 है0, 1382 रकया 1.16 है0, 1383 रकबा 0.13 है०, 1384 रकबा 0.08 है0, 1385 रकबा 0.66 है० कुल किता 15 रकबा 5.07 हे० दर्ज है।

3. यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सेटलमेन्ट पुर्व जमाबन्दी व वर्तमान जमाबन्दी के दोनो खातो की कुल क्षैत्रफल में ढाई बीघा भूमि कमी होना पाया गया है जो की सही है यह सेटलमेट दोरान की त्रुटि है।
4. यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी गण द्वारा अपनी खातेदारी कृर्षि भूमि का अपने अपने हिस्से अनुसार मोके पर बटवाडा कर विकय भी कर दिया है। जिसका विवरण तहसीलदार रिपोर्ट की कलम संख्या 4 मे दिया गया है।
5. यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके पर खातेदार द्वारा कब्जे की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा है जो कि भौतिक रूप से 5.07 हैक्टयर ही है।
6. यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादीगण के खातेदारी आराजीयात की भूमि के आसपास कोइ बिलानाम आराजी नहीं है समस्त आराजी खातेदारी भूमि है हाल आराजी नम्बर 1270 रकबा 0.11 हेक्टयर भूमि साबिक आराजी 465 मी 466 मी मिलान क्षेत्रफल अनुसार बना है। हाल आराजी 1270 रकबा 0.11 हेक्टयर का वर्तमान जमाबन्दी सवंत 2075—78 की खाता संख्या 560 में विभाजन, उपहार, रूपान्तरण व समर्पण से आराजी 2460 / 1270 रकबा 0.08 है० सुभाष पिता लक्ष्मण मेहता ब्रहामण निवासी अदकालिया खातेदारी व 2459 / 1270 रकया 0.03 बिलानाम सरकार किस्म गैर—मुमकीन रास्ता दर्ज है जो कि वादीगण द्वारा किसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
7. यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सेटलमेट पुर्व नक्शे के अनुसार वादीगण की भूमि कम होने पर किस आराहीयात में मिली हुई है यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा है।
8. यह है कि पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी गण के मोके पर कब्जा अनुसार आराजीयात की भूमि के आसपास अन्य आराजी वादीगण के सेटलमेट पुर्व खाते के साबिक आरजी से नहीं बने है।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के साबिक रकबे अनुसार हाल राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा कि बहस अपने जवाब अनुसार रही।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि सेटलमेंट पूर्व खातेदारी भूमि का रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा था तथा वर्तमान रिकॉर्ड में लगभग ढाई बीघा भूमि कम दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी उक्त कमी को सेटलमेंट त्रुटि माना गया है। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि–

1. मौके पर भौतिक कब्जा वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार लगभग 5.07 हेक्टेयर ही पाया गया है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

2. यह स्पष्ट नहीं है कि कथित कमी वाली भूमि किस विशिष्ट आराजी में सम्मिलित हुई।
3. कुछ भूमि वर्तमान में अन्य खातेदारों एवं बिलानाम सरकार के नाम दर्ज है, जिन्हें इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अतः बिना संबंधित खातेदारों को पक्षकार बनाये एवं तकनीकी सर्वेक्षण के सीधे रकबा वृद्धि का आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। केवल सामान्य कथन एवं पुराने रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से राजस्व रिकॉर्ड में रकबा वृद्धि किया जाना संभव नहीं है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झल्लारा को निर्देशित किया जाता है कि–

1. संबंधित भूमि का सक्षम राजस्व अधिकारियों से सीमांकन, मौका निरीक्षण एवं तकनीकी जांच करवाये।
2. यह परीक्षण किया जावे कि सेटलमेंट त्रुटि के कारण कम हुई भूमि किस आराजी में सम्मिलित हुई है।
3. यदि जांच में यह सिद्ध हो कि प्रार्थीगण की भूमि त्रुटिवश अन्य खातों/आराजियों में सम्मिलित हो गई है, तो संबंधित खातेदारों एवं आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार कार्यवाही की जावे।
4. यदि आवश्यक हो तो प्रार्थीगण पृथक से सक्षम न्यायालय में आवश्यक पक्षकारों को सम्मिलित कर विस्तृत वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

उपरोक्त निर्देशों सहित प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

निर्णय दिनांक 03/06/26 को सरेइजलास सूनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला सलूम्बर